

प्रेषक,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

अपर सचिव,

माध्यमिक शिक्षा

उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक— आंग्ल भाषा / 25032

/2019-20 दिनांक—07 दिसम्बर, 2019

विषय— फीनिक्स पब्लिक स्कूल किच्छा, ऊधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक फीनिक्स पब्लिक स्कूल किच्छा, ऊधमसिंहनगर
सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा
सम्बन्ध में प्रस्ताव/पत्रावली मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर के द्वारा निदेशालय
प्रेषित किया गया है। निदेशालय स्तर पर पत्रावली के परीक्षणों परान्त संस्तुति सहित अ
मूल पत्रावली(मूल ट्रेजरी चालान सहित) अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीय

(आर0 के0 कुंवर)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्राचार्य के0 ए0 लाहोड़ा
Principal K V Lonaghat

Principal
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Secretary
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/KENDRIYA VIDYALAYA
एनएचपीसी/NHPC BANBASA

Secretary
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Principal
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

प्रेषक,

गिरधर सिंह भाकुनी,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,

नई दिल्ली-110092

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 19 फरवरी, 2020

विषय: फीनिक्स पब्लिक स्कूल किच्छा, ऊधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संख्या-आंग्ल भाषा/25072/2019-20, दिनांक: 07.12.2019 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फीनिक्स पब्लिक स्कूल किच्छा, ऊधमसिंहनगर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त स्कूल द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी रीति हो, स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्रीय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था/स्कूल उनका पालन करेगी।

(क) विद्यालय तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों/पंजीकृत प्रपत्रों में दर्ज होना चाहिए।

Principal
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Principal

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/KEENDRIYA VIDYALAYA
U.S.Nagar, BAMBASA

Secretary

Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Secretary

- (ट) उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (ठ) संस्था/विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर वे ही शिक्षक/कर्मचारी रखे जा सकेंगे जो राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में रखे जाने हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करते हों, अर्थात् अप्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता से अन्यून शिक्षक/कर्मचारियों को विद्यालय में समायोजित नहीं किया जायेगा तथा ऐसा पाये जाने पर अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।
2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है तथा स्कूल प्रबंधन द्वारा दिये गये शपथ पत्र में कोई असत्य कथन किया गया है या तथ्यों को छुपाकर कथन किया गया है जो यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जबाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा एवं साथ ही दी जा रही अनापत्ति निरस्त/वापस कर ली जायेगी तथा स्कूल प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।
4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम स्कूल प्रबंधक द्वारा अनिवार्य रूप से उठाये जायेंगे एवं इस दिशा में समय-समय पर मा0 न्यायालय एवं सरकार द्वारा दिये जाने वाले आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। विद्यालय प्रबंधन की चूक से विद्यालय में अध्ययनरत किसी बच्चे की सुरक्षा खण्डित होने अथवा बच्चों को जान-माल का नुकसान होने पर विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा एवं प्रतिकूल स्थिति होने पर अनापत्ति प्रत्यावर्तित/निरस्त कर दी जायेगी।
7. संस्था/स्कूल द्वारा पर्यावरण के दृष्टिगत स्कूल प्रांगण में समुचित/पर्याप्त संख्या में चौड़ी पत्ती वाले छायादार वृक्ष लगाये जायेंगे, स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, सभी सरकारी कार्यक्रमों में यथा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा विद्यालय में वाटर पुरीफायर, अग्निशमन तथा हाईजैनिक् टॉयलेट की व्यवस्था की जायेगी।
8. संस्था/स्कूल द्वारा Juvenile Justice Act के मानकों का सत्यापन कराने के अलावा, मा0 शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगी एवं उक्त का अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

Principal
Phoenix Public School
Chha, U.S.Nagar
Principal
Phoenix Public School

Secretary
Phoenix Public School
Chha, U.S.Nagar
Principal
Phoenix Public School

9. विद्यालय परिसर में धूम्रपान व अन्य तम्बाकू उत्पाद एवं मद्यपान का प्रतिषेध तथा यौन उत्पीड़न को पूर्णतया रोकने के संबंध में वैसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या: 792/XXIV(1)/2018/04/2017, दिनांक: 16 अगस्त, 2018 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं दिव्यांग छात्रों हेतु विद्यालय में समुचित व्यवस्था की जायेगी।
10. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(गिरधर सिंह भाकुनी)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-1444/XXIV-B-3/20/01(36)2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- (4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- (5) प्रधानाचार्य, फीनिक्स पब्लिक स्कूल किच्छा, ऊधमसिंहनगर।
- (6) गार्ड फाइल।

Principal
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Principal KV Lohabhat
Kichha, U.S.Nagar

आज्ञा से,
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

Secretary
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Principal
केन्द्रीय विद्यालय/KENDRIYA VIDYALAYA
एनएचपीसी/NHPC BANBARA

Secretary
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar

Principal
Phoenix Public School
Kichha, U.S.Nagar